148

10रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA सत्यमेव जयते दस रुपये TEN RUPEES

10रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA सत्यमेव जयते दस रुपये TEN RUPEES

10रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA सत्यमेव जयते दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर निग-1924-I-16

प्रकरण क्रमांक / 2016 निगरानी

आर० एस० सेंगर, अभि० द्वारा आज दि. 16-6-16 को प्रस्तुत
16-6-16
रीडर ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

Received
आर. एस. सेंगर
16-6-16

हरीरामदासपुत्र मन्नू कुर्मी निवासी उनाव रोड तहसील व जिला दतिया

.... आवेदक

बनाम

1. महन्त सरजूदास चेला स्व. कौशल किशोरदास मंदिर हनुमान टीला तहसील व जिला दतिया
2. म.प्र. शासन

..... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 (1) म.प्र. भू राजस्व संहिता न्यायालय तहसीलदार तहसील जिला दतिया द्वारा प्रकरण क्रमांक 111/बी–121/ 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 13.05.2016 के विरूद्ध निगरानी समयावधि में प्रस्तुत है।

श्रीमानजी,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है :–

1. यहकि, हनुमान मंदिर टीला की भूमि सर्वे क्रमांक 2511 स्थित उनाव रोड दतिया पर आवेदक का लगभग 50 वर्षो से कब्जा चला आ रहा है। उक्त मंदिर की पूजा अर्चना अपने गुरू दशरथदास के समय से करता चला आ रहा है। मंदिर भूमि पर आवेदक अपने गुरू के समय से ही खेती कराता चला आ रहा है। अनावेदक सरजूदास मंदिर का कभी पुजारी नही रहा और ना ही कभी विवादित भूमि पर उसका कब्जा रहा। तहसीलदार द्वारा रू 5000/–

र 1924/I/16 दतिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20.6.16	यह निगरानी तहसीलदार दतिया व्दारा प्रकरण क्रमांक 111/बी-121/15-16 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 13-5-16 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। आवेदक के अभिभाषक के निगरानी की ग्राह्यता पर प्रस्तुत प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव तहसीलदार के अंतरिम आदेश के अवलोकन से परिलक्षित है कि आवेदक मंदिर हनुमान टीला की भूमि सर्वे नंबर 2511 स्थित उन्नाव रोक पर अवैध कब्जा किये है जिसके कारण तहसीलदार ने थाना प्रभारी सिविल लायन को पत्र जारी करने का निर्णय दिनांक 5-12-15 को लिया था और पत्र जारी न होने की दशा में पुनः पत्र जारी करने हेतु अंतरिम आदेश दिनांक 13-5-16 से निर्देश दिये हैं कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी सारहीन एंव सुनवाई योग्य न होने से इसी-स्तर पर निरस्त की जाती है। सदस्य	